सम्पत्तिगत एवं आय के स्रोतों में विषमताऐं

जय नारायण महतो
शोधार्थी,
भूगोल विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ, यूपी

डॉ. राजीव कुमार
भूगोल विभाग,
मेरठ कॉलेज, मेरठ, यूपी

1. प्रस्तावना

इसमें कोई सदेंह नहीं है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं योजना तक भारत सरकार ने जो धन ग्रामीण नागरिकों के विकास के लिए व्यय किया है, उसके अनुसार ग्रामों की जिन्दगी उन्नत हो जानी चाहिए थी, असमानता कम हो जानी थी, लेकिन यथार्थ इसके विपरीत है। यह सही है कि अंधेरे में डुब` हुए ग्रामों मेंबिजली के खम्भे पहुँच गये है, केवल वर्षा पर आश्रित रहने वाली खेती के बीच में नहरे व नलकूप की नालियाँ बन गयी है नंगे पाँव रहने वाले या खडाऊ पहनने वाले ग्रामीणों के पाँव में चप्पल या जूते दिखाई देने लगे है, आधुनिक जीवने के चमक–दमक वेशभूषा ग्रामों तक पहुँच गयी है, ग्रामीण लोकगीत एवं नृत्य फिल्मी गीतों व नृत्यों से ढ़क गये हैं, ग्रामीण सादगी नगरीय सभ्यता से आच्छादित हो रही हैं। लेकिन इस सबके परिणाम स्वरूप भी यह एक चौकाने वाला तथ्य हैं कि ग्रामीणों के लिए बनी हुई सरकारी योजनायें ग्रामों तक पहुँचाते–पहुँचाते अपना स्वरूप खेती बदल रही या फिर वे कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है अथवा धरातल तक पहुँचे में उसे अनेकों अवरोधों का सामना पड़ रहा है। अध्ययन के आधार पर एसे प्रतीत होता है। कि ग्रामों में विषमता अब भी व्याप्त हैं। कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने बगैर। किसी के पास सैकड़ों बीघा की हरियाली लहरा रही हैं तो किसी को अपनी झोंपड़ी तक की जगह भी नहीं है।

2. सम्पत्तिगत एवं आय के स्रोतों का प्रारूप

कृषि मजदूर जनपद के सभी विकासखण्डों में कृषि को विशेष महत्व दिया जाता है। विकासखण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सलमेपुर कायस्थ मेंस्थानिक नाम विलायती गाजर की खेती विशेष रूप से की जाती हैं। जिसका निर्यात विभिन्न राज्यों को किया जाता है। अतः बड़े पैमानों पर किसानों को विशेष आर्थिक लाभ होता है। साथ ही साथ कृषि मजदूर भी अधिक पाये जाते हैं। इसमें अलावा ग्राम कोटा, सीवाली, सहारगपुर, वाजीदपुर, वहीपुर, चाँसी, कुलुकपुर, शहापतपुर, पहाड़पुर व ग्राम बहुपुर में आलू व गन्ने गेहूँ की खेती विशेष रूप से की जाती है। ग्राम–अकबरपुर, असावर व किरावली में बागाती खेती की जाती है। जनपद में उपरोक्त सभी गांवों में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को रेल व सडक़ वाहनों के द्वारा सुबह–शाम समय से पहुँचा दिया जाता है। अतः किसानों को मिश्रित कृषि के द्वारा आय की प्राप्ति होती है। जिसमें कृषि मजदूरों का महत्वपर्णू योगदान है। औद्योगिक मजदूर सिकन्दराबाद विकासखण्ड में व कसीदाकारी (जरी, सितारे मोतियों का कार्य) से जुड़े हुये है। गुलावठी विकासखण्ड में ग्राम सैदपुर फोजियों के गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि ग्राम के लगभग प्रति परिवारों में 2 से 3 व्यक्ति फौजी है और युवा पीढ़ी भी देश सवेा की भावना से परिपूर्ण है। और फौजी फोज की नौकरी को ही अपना रहे है। डिवाई में परमाणु केन्द्र स्थापित होने से हजारों लोगों को सरकारी नौकरियाँ प्राप्त होती हैं।

विकासखण्ड पहासू में कृषि डेरी उद्योग विकास कर गया है। जिससे वहाँ के कृषि मजदूरों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती हैं। लखावटी विकासखण्ड में गन्ना, गुड का देश की विभिन्न गुड मण्डीयों को निर्यात किया जाता है। बुलन्दशहर मुश्लिम बाहुल्य होने से मीट उद्योग प्रगति कर गया है और यहाँ का मीट विदेशों को निर्यात किया जाता है। खुर्जा का पाल्ट्री (चीनी मिट्टी के बर्तन) उद्योग देश भर में विख्यात है। अतः जनपद में सम्पत्तिगत व आयगत के स्रोतों का प्रारूप कृषि, उद्योग, नौकरी व व्यवसाय, पारम्परागत पेशे सभी से तैयार होता है।

3. अध्ययन क्षेत्र में सम्पत्तिगत विषमतायें

तहसील के ग्रामीण समाज में सम्पत्तिगत साधनों का पता करने हेतु किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि भूमि ग्रामीणों का प्रमुख सम्पत्ति साधन है भूमि जोत (स्ंदक भ्वसकपदह) के आधार पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन किया

जाता है यहाँ तक कि सामाजिक एवं आर्थिक निर्धारण में भूमि तक आधारभूत श्रोत है जिस ग्रामीण का भूमिजोत पर स्वामित्व नहीं है। वह आर्थिक दृष्टि से तो दीन हैं ही इसके अतिरिक्त अचल सम्पत्तिगत साधनों के रूप में कृषियंत्र, पशु सम्पदा एवं घरेलू उपभोग की वस्तुओं को अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

4. भूमिजोत के वितरण में विषमतायें

कुल 671 प्रतिदर्श परिवारों में भूमिजोत के वितरण को सारणी संख्या में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.1 अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श परिवारों में उपलब्ध भूमि जोत का वितरण (2012)

परिवार एवं भूमि जोत का वर्गीकरण	कुल		जोत	
	संख्या में	प्रतिशत में	एकड़ में	प्रतिशत में
बड़े कृषक 10 एकड़ से अधिक	78	11.62	1394.57	51.41
छोटे कृषक 2.5 से 10 एकड़	203	30.25	1051.59	38.77
सीमान्त कृषक 2.5 एकड़	209	31.15	266.46	9.82
भूमिहीन	181	26.98	—	—
कुल योग	671	100.00	2712.62	100.00

स्रोत– प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर

ग्राफ 1.1 अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श परिवारों में उपलब्ध भूमि प्रतिशत में 2012

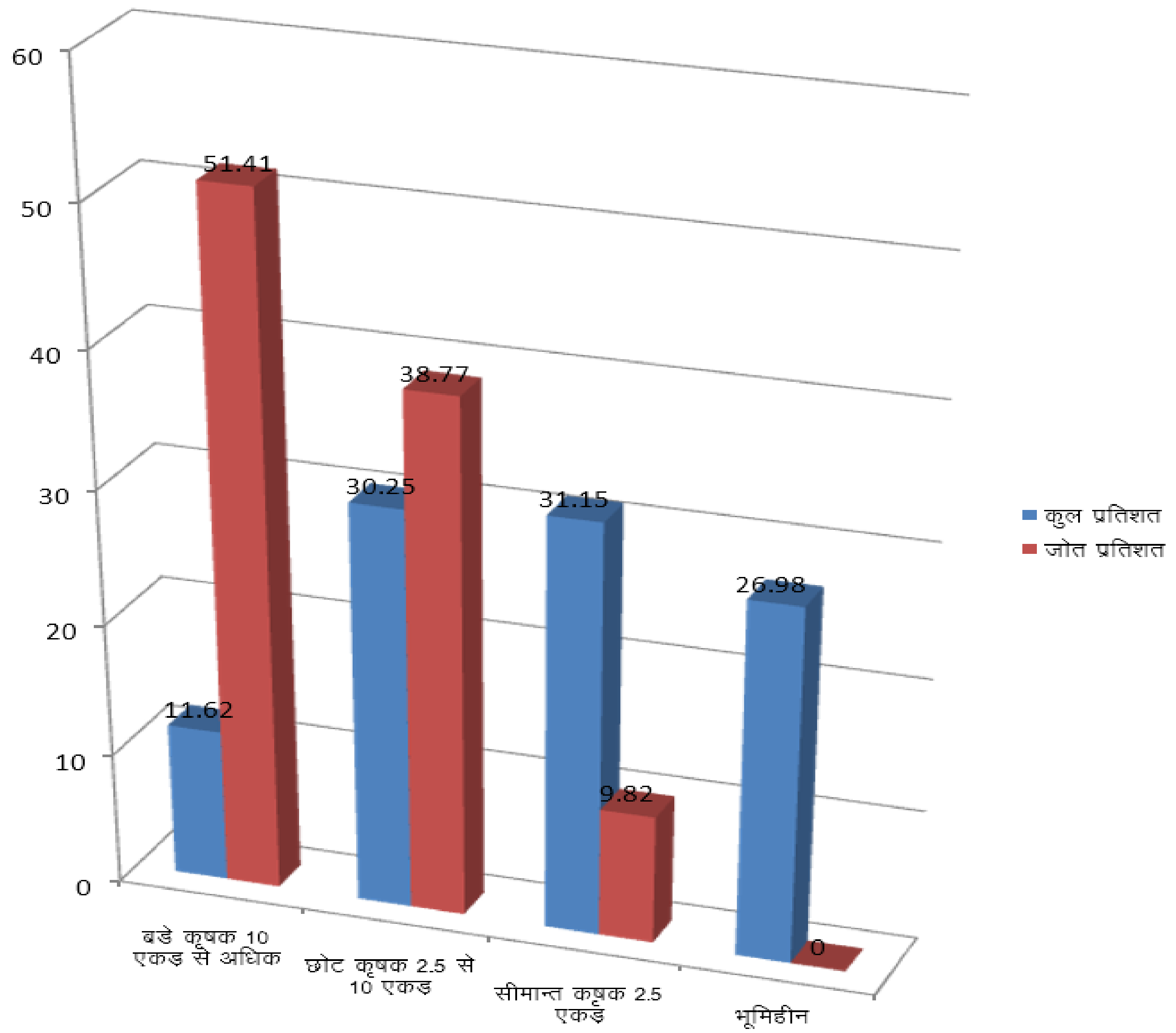

सारणी संख्या 1.1 से स्पष्ट होता है कि बड़े कृषकों (10 एकड़ व अधिक) के 78 परिवार (11.62 प्रतिशत) हैं। किन्तु इनका जोतों पर स्वामित्व 1394.57 एक (5141 प्रतिशत) पर है। इस वर्ग के अन्तर्गत अधिकतर सवर्ण जाति के

परिवार है। छोटे कृषकों के 203 परिवार (30.25 प्रतिशत) है। जिनके पास (2.5 एकड़ से 10 एकड़ तक) जोतों पर स्वामित्व है किन्तु यदि बड़े एवं छोटे कृषकों के परिवार को सयंुक्त कर दिया जाये तो ये 41.87 प्रतिशत है। किन्तु जोतों पर इनका स्वामित्व 90.18 प्रतिशत भाग पर है। जबकि दूसरी ओर कृषकों (< 2.5 एकड़ों के परिवार) जहाँ 31.15 प्रतिशत है। वहाँ जोतों पर मात्र 9.82 प्रतिशत भाग पर स्वामित्व रखते है। किन्तु महत्वपर्ण तथ्य यह है कि अध्ययन क्षेत्र के 181 परिवार (26.98 प्रतिशत) भूमिहीन है परिवारों एवं जोत के मध्य सह सम्बन्ध नाकारात्मक है। जो (त.0.67) अतः उपरोक्त तथ्यों को लॉरेंज वक्र द्वारा स्पष्ट ज्ञात किया जाता है।

5. अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में जातियों के आधार पर भूमि जोतों का विवरण

जाति के आधार पर अध्ययन करने के लिए कुल प्रतिदर्श परिवारों को सामान्य, पिछडा व अनुसूचित जाति तीन वर्गों में विभक्त किया है। सामान्य इस वर्गों के अन्तर्गत पायी जाने वाली विभिन्न उपजातियों को तीन वर्गों (सर्वण जाति, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति) में विभक्त किया गया है।

सारणी 1.2 सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति में भूमिजोत का विवरण (2014)

क्र.सं.	वर्ग/जाति	भूजोत परिवारों की संख्या	भूजोत परिवारों का प्रतिशत	भूजोत एकड़ में	भूजोत प्रतिशत में
1	सामान्य वर्ग	196	29.21	1011.54	37.24
2	पिछड़ा वर्ग	274	40.83	1181.44	43.45
3	अनुसूचित जाति/जनजाति	201	29.95	519.84	19.41
	योग	**671**	**100.00**	**2712.82**	**100.00**

स्रोत–प्राथमिक आँकडे

ग्राफ 1.2 सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का प्रतिशत व भूमिजोत प्रतिशत (2014)

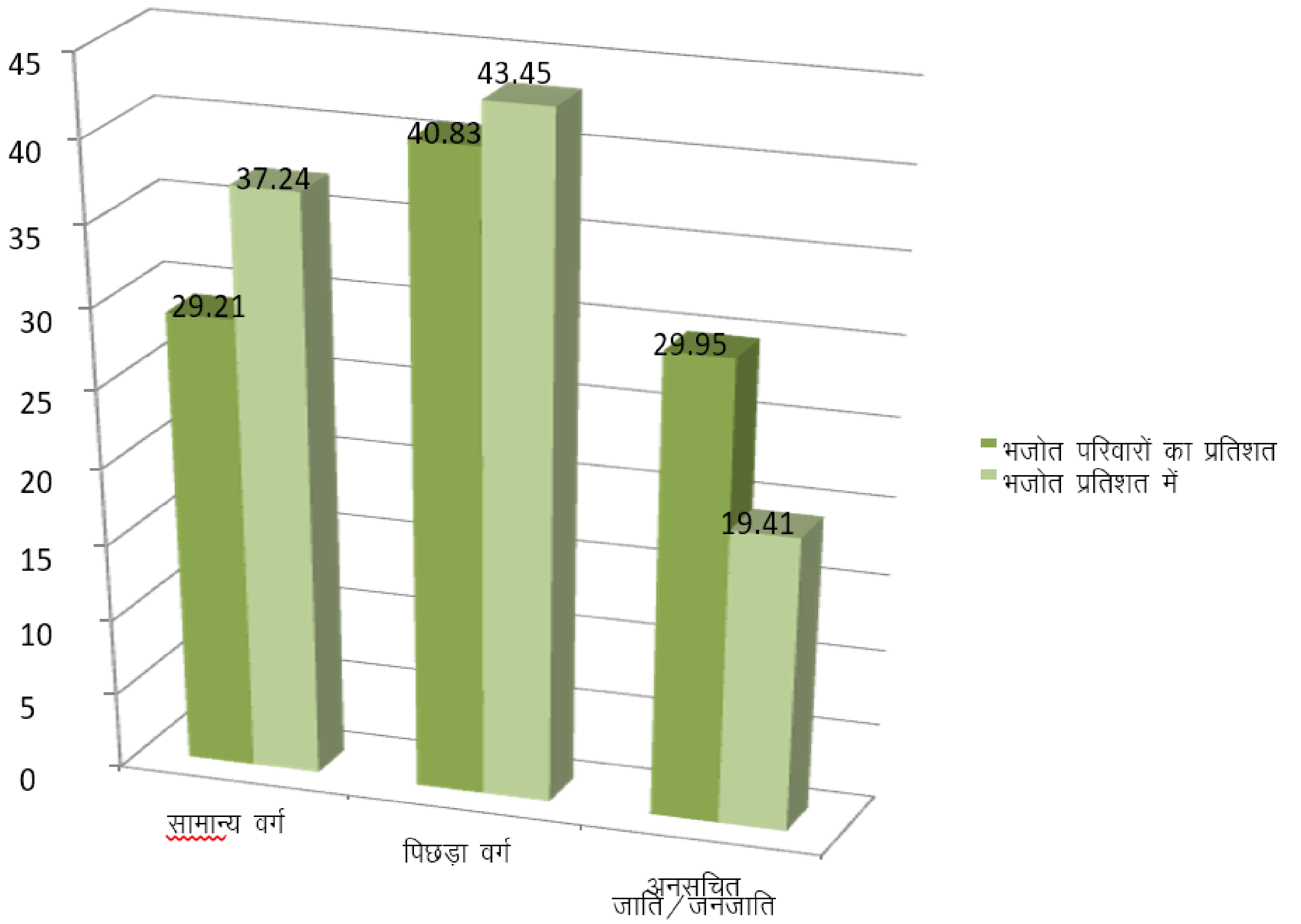

Vol. 13, Sp. Issue: 2, July: 2025
(IJRSML) ISSN: 2321 - 2853

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 671 प्रतिदर्श परिवारों में 196 परिवार (29.21 प्रतिशत) सामान्य वर्ग, 274 परिवार (40.83 प्रतिशत) परिवार पिछड़ा वर्ग से और 201 परिवार (29.95 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग से है। जिनका भूजोत पर स्वामित्व क्रमशः 37.24 प्रतिशत, 43.45 प्रतिशत, 19.41 प्रतिशत भाग पर है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि सामान्य वर्ग में कुलजोत 1011.54 व अन्य पिछड़ा वर्ग पर 1181.44 एक है जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की तुलना में लगभग दो गुना व दोगुने से अधिक है।

सारणी 1.3 अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न जातियों में भूमिजोतों का वितरण प्रतिशत में (सन् 2012–13)

जातियाँ	बड़े कृषक		छोटे कृषक		सीमान्त कृषक		भूमिहीन		कुल योग	
	परिवार	जोत	परिवार	जोत	परिवार	जोत	परिवार	जोत	परिवार	जोत
सवर्ण	9.53	43.46	21.61	28.51	8.80	3.04	2.98	–	42.92	75.0
पिछड़ी	1.05	4.26	4.17	6.06	9.53	2.85	11.63	–	26.38	13.17
अनुसूचित	1.04	3.69	4.47	4.20	12.82	3.93	12.37	–	30.70	11.72
जनपद योग	11.62	51.41	30.25	38.77	31.15	9.82	26.98	–	100.00	100.00

स्रोत– प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

सारणी संख्या 1.3 में दर्शायें गये आंकड़ों से ज्ञात होता है। कि कुल परिवारों में से सामान्य वर्ग के 42.92 प्रतिशत है। जिनके पास कुल भूमि जोत का 75.01 प्रतिशत अंश है। पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के कुल परिवार क्रमशः 26.38 प्रतिशत तथा 30.70 प्रतिशत हैं जिनके स्वामित्व में मात्र 13.17 प्रतिशत तथा 11.82 प्रतिशत भूमि जोत है। इससे दो बातों का स्पष्ट सकं`त मिलता है प्रथम जाति एवं भूमि पर जोत के वितरण में विषमता है और द्वितीय अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के परिवारों की सखं या की तुलना में भूमिजोत अल्प हैं।

6. बड़े कृषक एवं उनका जोतों पर स्वामित्व

इस वर्ग के अन्तर्गत 11.62 प्रतिशत है जिनका 57.41 भूमिगत पर स्वामित्व हैं। सामान्य वर्ग के बड़े परिवार 953 प्रतिशत है जबकि इनका 43.46 प्रतिशत जोतों पर स्वामित्व है। उल्लेखनीय है क अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों से बड़े कृषकों की श्रेणी में मात्र क्रमशः 11.04 प्रतिशत एवं 1.05 प्रतिशत परिवार आते हैं। किन्तु जोतों पर इन दोनों का स्वामित्व क्रमशः 3.69 प्रतिशत एवं 4.26 प्रतिशत है उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बड़े कृषक वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कृषक हैं।

7. छोटे कृषक एवं उनका जोतों पर स्वामित्व

कुल प्रतिदर्श परिवारों का 30.25 प्रतिशत भाग छोटे कृषकों की श्रेणी के अन्तर्गत है किन्तु इसमें भी विषमता विद्यमान हैं क्योकि स्वर्ण जाति के 21.61 प्रतिशत परिवार छोटे कृषक हैं। किन्तु इनका स्वामित्व 28.51 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति के इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले परिवार 4.47 प्रतिशत होने के बावजूद 420 प्रतिशत जोत पर स्वामित्व है साथ ही दोनों स्वर्ण एवं अनुसूचित जातियों के मध्य पिछड़ी जाति के परिवार 4.17 प्रतिशत है किन्तु जोतों पर स्वामित्व 6.06 प्रतिशत रखते हैं।

8. सीमान्त कृषक एवं उनका जोतों पर स्वामित्व

सीमान्त कृषकों का कुल प्रतिशत 31.15 प्रतिशत भाग इस वर्ग के अन्तर्गत आता हैं। किन्तु जोतों पर इनका स्थामित्व मात्र 9.82 प्रतिशत भाग पर है। इसमें भी सवर्ण जाति के परिवार 8.80 प्रतिशत है जबकि जोतों पर इनका स्वामित्व 3.04 प्रतिशत है। पिछड़ी जाति के सीमान्त कृषकों के परिवार इस वर्ग में 12.82 प्रतिशत है। किन्तु 3.93 प्रतिशत मात्र रखते हैं। इस प्रकार सीमान्त कृषक वर्ग के अन्तर्गत भी सामान्य वर्ग के पास, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की अपक्षा जोत अधिक अनुपात में हैं।

9. भूमिहीन परिवार

अध्ययन क्षेत्र के कुल प्रतिदर्श परिवारों का 26.98 प्रतिशत भाग भूमिहीन है। इसमें सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के परिवार क्रमशः 2.98 प्रतिशत 11.63 प्रतिशत एवं 12.37 प्रतिशत है।

10. कृषि यन्त्रों के स्वामित्व में विषमता

जिस प्रकार के जोतों के वितरण में कृषक वर्ग एवं जाति वर्ग के आधार पर भारी विषमता हैं उसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों के स्वामित्व में भी अत्यन्त विषमता मौजूद हैं। जैसा कि निम्न सारणी संख्या से स्पष्ट है।

सारणी 1.4 अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श परिवारों में भूस्वामित्व के आधार पर कृषि यन्त्रों का वितरण 2011–2014

क्र. सं.	कृषक वर्ग	भूमि वर्गो करण (एकड़ में)	ट्रेक्टर		ट्राली		थ्रेसर		गेहूँ बोने की मशीन		आलू बोने की मशीन		कल्टीवेटर		बुग्गी		ईजन		नलकूप		बोरिंग	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	बडे कृषक	10>	52	59.09	46	66.97	47	59.09	25	80.65	5	71. 43	52	59.09	79	25.75	75	29.30	62	63.92	54	29.19
2	छोटे कृषक	2.5–10	34	38.64	23	33.33	30	37.98	6	19.35	2	28. 57	34	38.64	148	47.90	139	54.30	33	34.02	109	58.92
3	सीमान्त कृषक	<2.5	2	2.27	–	–	2	2.53	–	–	–	–	2	2.27	65	21.04	40	15.62	2	2.06	22	11.89
4	भूमिहीन		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	5.50	2	0.78	–	–	–	–
5	योग		88	100	69	100	79	100	31	100	7	100	88	100	309	100	256	100	07	100	185	100

स्रोत– प्राथमिक आंकड़ें

ग्राफ 1.4 अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श परिवारों में भूस्वामित्व के आधार पर कृषि यन्त्रों का वितरण (प्रतिशत में) 2011–2014

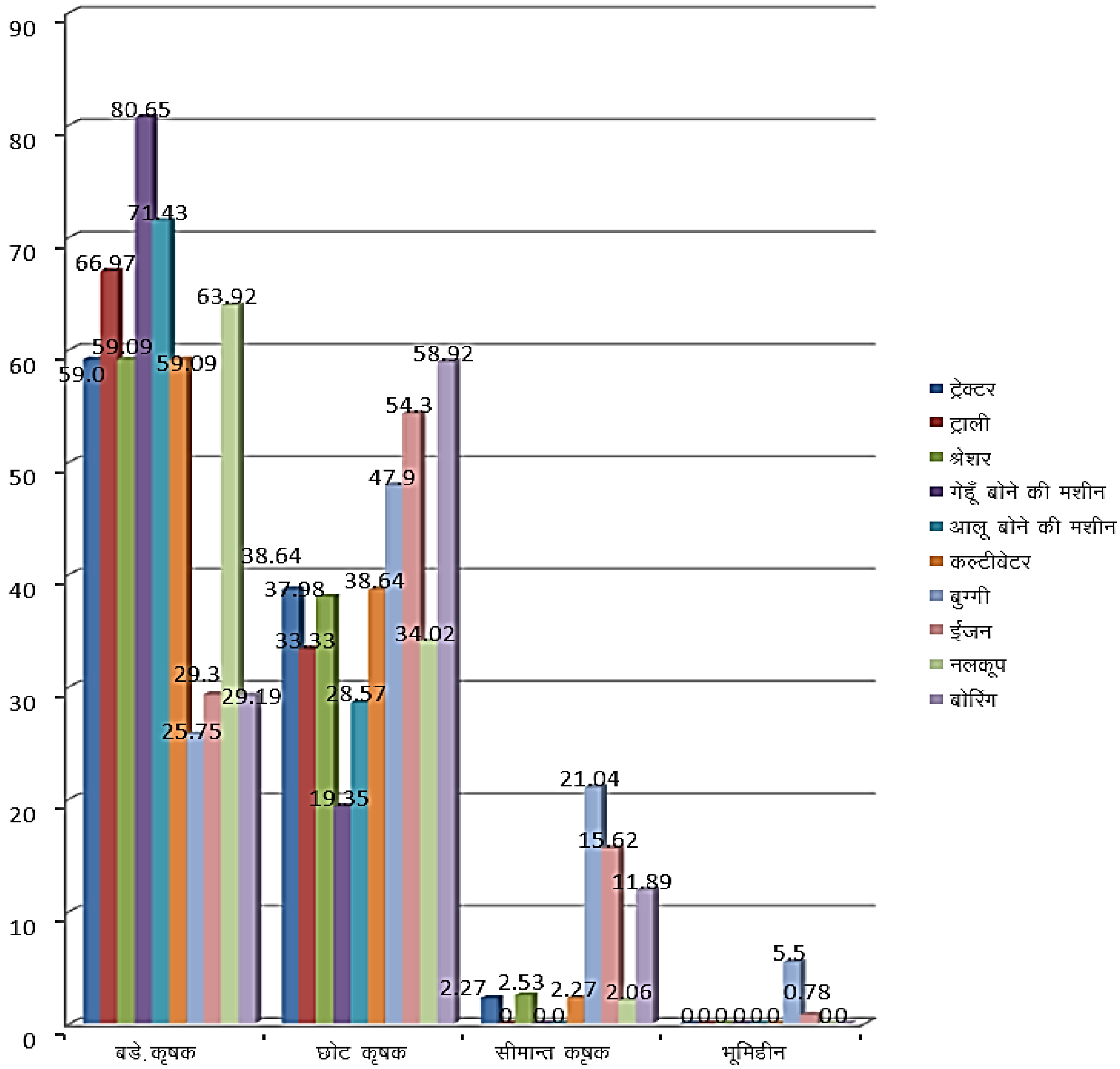

जैसा कि पहले ज्ञात हुआ है कि बड़े कृषक जो 57.41 प्रतिशत जोतों पर स्वामित्व रखते है उनका कृषि यन्त्रों पर उससे भी अधिक स्वामित्व है क्योंकि सारणी संख्या 3.4 एवं चित्र के अनुसार उन बड़े कृषकों के पास टैक्ट्रर (59.09 प्रतिशत), ट्राली (66.67 प्रतिशत), थ्रेसर (59.49 प्रतिशत), गेहूँ बोने की मशीने (80.65 प्रतिशत), आलू बोने की मशीने (71.43 प्रतिशत), कल्टीवेटर (59.09 प्रतिशत) एवं नलकूप (63.92 प्रतिशत) है। जो परिवारों को देखते हुए पांच से सात गुणा तक अधिक है। मात्र बुग्गी इंजन एवं बोरिंग में इनका प्रतिशत कुछ कम है। किन्तु यह भी ढाई गुना अधिक है क्योंकि बुग्गी, ईजन, एवं बोरिंग क्रमशः 25.56, 29.30 एवं 29.19 प्रतिशत हैं।

छोटे कृषक भी मात्र गेहूँ, आलू बोने की मशीन को छोड़कर सभी कृषि यन्त्र अपने परिवारों से अधिक प्रतिशत में रखते है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि ये परिवार ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, गेहूँ बोने की मशीन, आलू बोने की मशीन, बुग्गी, ईजन नलकूप एवं बोरिगं क्रमशः 38.64, 33.33, 37.98, 19.35, 28.57, 38.64, 47.90, 54.30, 34.02 एवं 58.92 प्रतिशत भाग रखते हैं इस प्रकार ये बोरिंग, ईंजन एवं बुग्गी को छोडक् र बड़े काश्तकारों की बजाय तो कम प्रतिशत में कृषि यन्त्रों पर स्वामित्व रखते हैं किन्तु सीमान्त कृषकों की तुलना में इनके पास कई गुना अधिक कृषि यन्त्र है। जबकि सीमान्त कृषकों के परिवार इनसे अधिक हैं। सीमान्त कृषकों के पास मात्र ट्रैक्टर (2.27 प्रतिशत), थ्रेशर (2.53 प्रतिशत), कल्टीवेटर (11.89 प्रतिशत) है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये परिवार अपनी जोतों की जुताई एवं बुआई आदि के लिए छोटे एवं बड़े कृषकों पर निर्भर करते हैं।

जाति के आधार पर कृषि यन्त्रों का स्वामित्व कृषि यन्त्रों के स्वामित्व को लेकर केवल भूमि वर्गीकरण के आधार पर ही विषमता नहीं है वरन् धर्मानुसार जाति के आधार पर भी इनके स्वामित्व के वितरण में विषमता है जैसा कि जाँच हेतु सारणी संख्या 1.3 में दर्शाये गये हैं।

संदर्भसूची

1. कुरियन, सी.टी. (1982).''इकोनामिक स्टेट ऑफ शिडयूल्ड कास्ट इन इण्डिया'', मैथ्यू एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, योजना नवम्बर.
2. त्यागी, डी.एम. रू ''ए व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, ई.पी. डब्ल्यू, जवाहर प्रकाशन, नई दिल्ली.
3. ढाक व तेजपाल (1982).''सोशल इन इकवेंलिटी एण्ड रूरल डवे लपमेन्ट'' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.
4. भल्ला, जी.एस. एवं वाई. : फूड ग्रेन्स शोध :ए डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे'' के0 सिंह 1976 नयी दिल्ली, प्लनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया.